कार्यालय अंचल अधिकारी,गाण्डेय गिरिडीह।

अभिलेख संख्या– 10/2020–21

अभिलेख का प्रकार– विविध वाद

मिंकु गुप्ता
बनाम
अवधेश रवानी

आदेश – फलक

02-12-2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक मिंकु गुप्ता, ग्राम–गाण्डेय के द्वारा निम्नांकित भूमि का ऑनलाईन दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया है।

मौजा/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लौट संख्या	रकवा
गाण्डेय/469	4	54	0.14 डी0
		55	0.04 डी0
		41	0.20 डी0
		42	0.25 डी0
		53	0.08 डी0
		56	0.02 डी0
		57	0.02 डी0
		58	0.02 डी0
		59	0.01 डी0
		61	0.08 डी0
		62	0.16 डी0

आवेदन के आलोक में हल्का राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। राजस्व उप निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक एवं अन्य को नोटिस निर्गत अपना पक्ष रखने हेतु सभी राजस्व कागजातो के साथ उपस्थित होने एवं अभिलेख पंजीकृत किया गया।

अभिलेख पंजीकृत के पश्चात विभिन्न तिथियों को सुनवाई की गई एवं राजस्व कागजातों को उभय पक्षों को अपने–अपने सर्मथन में राजस्व कागजात प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। आवेदन गन द्वारा विभिन्न तिथियों को अपना–अपना पक्ष रखा तथा राजस्व उप निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

हल्का राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा अपना प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–पुनीडीह, थाना नं0 469, खाता नं0 4,प्लौट नं0 53, रकवा 1ए0 36 डी0 सर्वे खतियान के अनुसार चुल्ही कहार एवं चीतु कहार पेसरान विशुन कहार खतियान में दर्ज है। खाता नं0 4, कुल रकवा 1.36ए0 के मध्ये बिक्री के उपरान्त 0.16 डी0 का लगान रसीद वर्ष 2020–21 तक चुल्ही कहार के नाम पंजी–II के पृष्ठ सं0 134/1 पर अंकित है,उसी पृष्ठ पर जमाबंदी मे रामेश्वर राम वगैरह का भी नाम अंकित है,तथा रामेश्वर राम वगैरह का वर्षो पुराना घर भी अवस्थित है। खाता नं0 4, रकवा 1.02ए0 का रसीद विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में विपक्षी द्वारा आपत्ती पत्र दाखिल कर न्यायालय में दोनो पक्षो के बीच विवाद का मामला चल रहा है, बताया गया।

अत: राजस्व उप निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संधारित कागजातो के आवलोकन से स्पस्ट है कि एक ही भूमि पर उभय पक्षों के द्वारा दावा किया जा रहा है और ऑनलईन रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मामला स्वत्व वाद से संबंधित प्रतीत होता है जो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। उभय पक्ष चाहे तो अपना पक्ष न्यायालय में रख सकते है। अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं सत्यापित।

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।